

सं.No.Au/Admn.III/NFU/Vol.III

दिनांक /Dated: 29.12.2025

अनुभागीय आदेश सं. 316/ SECTIONAL ORDER No. 316

श्री महेश कुमार मीणा को संवर्ग में चार वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने पर सहा. लेखापरीक्षा अधिकारियों को स्वीकार्य वेतन स्तर 9 में गैर-कार्यात्मक उन्नयन (एनएफयू) दिनांक 22.12.2025 से प्रदान किया जाता है।

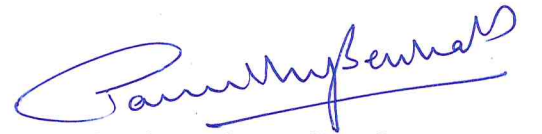
सीसीएस संशोधित वेतन नियम, 2016 के नियम 13 के अनुसार स्वीकार्य वेतन निर्धारण का लाभ गैर-कार्यात्मक उन्नयन प्रदान करते समय उपलब्ध होगा। यदि वे एफआर 22(आई)(ए)(1) के तहत विकल्प का प्रयोग करना चाहते हैं, तो उन्हें इस आदेश के जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर लिखित रूप में विकल्प देना होगा।

Non-Functional Upgradation (NFU) to Pay Level 9, admissible to AAOs on completion of four years of regular service in the cadre has been granted to **Shri.Mahesh Kumar Meena** with effect from **22.12.2025**.

The benefit of pay fixation admissible as per Rule 13 of CCS Revised Pay Rules, 2016 shall be available at the time of grant of Non-Functional Upgradation. If he intends to exercise option under FR 22(I)(a)(1), he should give the option in writing within one month from the date of issue of this order.

(म.ले. के दिनांक 29.12.2025 के आदेशानुसार)

(Vide orders dated 29.12.2025 of AG)



वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशा.)
Senior Audit Officer (Admn.)

प्रतिलिपि / Copy to:-

1. अनुभागीय आदेश पुस्तिका /S.O.Book
2. श्री महेश कुमार मीणा /Mahesh Kumar Meena, AAO
3. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशा.), लेखापरीक्षा महानिदेशक का कार्यालय (केंद्रीय व्यय) इंद्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली- 110002. /Senior Audit Officer (Admin)
O/o the Director General of Audit (Central Expenditure)
Indraprastha Estate, New Delhi - 110002.
4. गो. कक्ष /आई ए अनुभाग /हिन्दी कक्ष -ले प I/C.Cell/IA Section/Hindi Cell- Audit-I
5. पी ए ओ /PAO I, II & III
6. सूचना पट्ट /Notice Board
7. व्यक्तिगत फ़ाइल /Personal File